संख्या /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/छठा चरण/2018–19/दिनांक जुलाई 09 ,2018

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद।

विषयः– जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018–19 हेतु छठे चरण की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या–7/2018/2018 ई–2/तेरह–2018–46/2017 दिनांक 25–01–2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु घोषित आबकारी नीति, शासनादेश संख्या–52/2018/2341 ई–2/तेरह–2018–46/2017 टी0सी0III दिनांक 03–07–2018 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या 28849 दस–लाइसेस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक इलाहाबादः 04–07–2018 में दिये गये निर्देशो के कम में जनपद गाजियाबाद की अव्यवस्थित 55 देशी शराब, 09 विदेशी मदिरा, एवं 06 बीयर की फुटकर दुकाने, जिनका वर्ष 2018–19 की शेष अवधि हेतु छठे चरण का व्यवस्थापन ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार व्यवस्थापन हेतु टेक्निकल बिड दिनांक 12–07–2018 को प्रातः 11:00 बजे एवं फाइनेंशियल बिड दिनांक 13–07–2018 को 14:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में खोली जायेगी।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 12–07–2018 व 13–07–2018 को आप स्वयं समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित रहने का कष्ट करें, तथा उक्त तिथियों को टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से पूर्व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर एवं सभाकक्ष पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(रितु माहेश्वरी)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

संख्या 387/25 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वित्त एंव राजस्व) गाजियाबाद

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि छठे चरण की हाने वाली ई–टेण्डरिंग को सम्पन्न कराये जाने हेतु समस्त तकनीकी व्यवस्था को पूर्ण कराने एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञापन को जनपद की बेव साइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।

3– प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट गाजियाबाद/नाजिर सदर को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 12–07–2018 एवं 13–07–2018 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होने वाली टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड हेतु निर्धारित समय सभाकक्ष में समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे।

4– आशुलिपिक, जिलाधिकारी, को उक्त तिथियों को दैनिक कार्यकम सारणी में अंकित कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।